भारत सरकार मुद्रणालय.....
के दिनांक 9287...को प्रकाशित।
18/2/04
L.S. 14098
4/6/04
4/6/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्राधिकार से प्रकाशित

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2004/माघ 14, 1925
No. 53] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2004/MAGHA 14, 1925

P.O. — 550
KM — 30
Depth — 300
CPB — 220

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2004

**सा. का. नि. 92(अ).**— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण ( संरक्षण ) संशोधन नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में, नए डीज़ल इंजन ( 800 किलोवाट तक) के लिए उत्सर्जन सीमा जैनरेटर सैटों ( जैनसैट्स ) को लागू होने से संबंधित क्रम सं0 95 में,-

(i) टिप्पण 1, टिप्पण 2 और टिप्पण 3 में, " विनिर्माताओं " या " विनिर्माता " शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ' प्रदायकर्ता ' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" स्पष्टीकरण - इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, ' प्रदायकर्ता ' से भारत में जैनसैट के लागू होने के लिए नए डीज़ल इंज़नों का विनिर्माता अभिप्रेत है और जैन सैट लागू होने के लिए ऐसे डीजल इंजन तथा भारत में आयातित डीज़ल जैनसैटों का आयातकर्ता अभिप्रेत है " ।

[फा. सं. क्यू-15022/2/2001-सीपीए]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सं0 का0आ0 844(अ), तारीख 19 नवम्बर , 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनके पश्चातवर्ती संशोधन का0आ0 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, का0आ0 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, का0आ0 3(अ), तारीख 3जनवरी, 1989, का0आ0 190(अ) तारीख 15 मार्च, 1989, सा0का0नि0 913(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 1989,का0आ0 12(अ), तारीख 8 जनवरी 1990, सा0का0नि0 742 (अ), तारीख 30 अगस्त, 1990, का0आ0 23 (अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा0का0नि0 93 (अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा0का0नि0 95(अ) , तारीख 12 फरवरी, 1992, सा0का0नि0 329 (अ), तारीख 13 मार्च, 1992 सा0का0नि0 475(अ), तारीख 5 मई, 1992, सा0का0नि0 797(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा0का0नि0 386(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा0का0नि0 422(अ), तारीख 19 मई, 1993, सा0का0नि0 801(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा0का0नि0 176(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा0का0नि0 631(अ) तारीख 31 अक्तूबर 1997, सा0का0नि0 604(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा0का0नि0 7(अ) तारीख 2 जनवरी, 1999, सा0का0नि0 682(अ), तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा0का0नि0 742(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा0का0नि0 72(अ) तारीख 6 फरवरी, 2001 और सा0का0नि0 54(अ), तारीख 22.1.2002 सा0का0नि0 371(अ) तारीख 17 मई, 2002, सा0का0नि0 489(अ) तारीख 9 जुलाई, 2002 , का0आ0 1088(अ) तारीख 17 मई, 2002, सा0का0नि0 489(अ) तारीख 9 जुलाई, 2002, का0 आ0 1088(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002 सा0का0नि0 849(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2002 और सा0का0नि0 520(अ) तारीख 1 जुलाई, 2003 द्वारा किए गए थे ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 2004

G.S.R. 92(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 95 relating to EMISSION LIMITS FOR NEW DIESEL ENGINES (UP TO 800 KW) FOR GENERATOR SETS (GENSETS) APPLICATIONS, in paragraph 1, -

(i) in Note I, Note II and Note III, for the word "manufacturers" or "manufacturer", wherever they occur, the word 'supplier' shall be substituted ;

(ii) after Note III, the following Explanation shall be inserted, namely :-

"Explanation - For the purposes of this paragraph, 'supplier' means manufacturer of new diesel engines for genset applications in India and importer of such diesel engines for genset applications and diesel gensets imported into India".

[F. No. Q-15022/2/2001-CPA]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E) dated 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) dated 24th October, 1989, S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742(E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002, G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002 and G.S.R. 520(e) dated the 1st July, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.